दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(199)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर, केम्प इन्दौर (म0प्र0)

R-4211-III/13

कार्यालय कलेक्टर, धार
R.M.
3 OCT 2013
कलेक्टर

मनीराम पिता श्री हरिराम, जाति खाती,
निवासी ग्राम राधानगर, तह. धार ....निगरानीकर्ता

बनाम

1. कृष्णा पिता श्री जगन्नाथ, जाति खाती,
2. कैलाश पिता श्री जगन्नाथ, जाति खाती,
3. सालगराम पिता श्री आत्माराम, जाति खाती,
4. मोहन पिता श्री आत्माराम, जाति खाती,
5. सोहन पिता श्री गिरधारी, जाति खाती,
6. नादान बाई पति श्री रतनसिंह, जाति राजपुत,

सभी निवासी ग्राम राधानगर, तह. धार ....विपक्षीगण

3705
13-11-13

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

महोदय,

सेवा में विपक्षी कमांक एक लगायत पॉच ने न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील धार, जिला धार के न्यायालय में एक आवेदन पत्र धारा 131 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया, तथा साथ ही धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता का प्रस्तुत किया । जो प्रकरण कमांक 13/2012–13/अ–13 पर अंकित हुआ होकर विपक्षी कमांक एक लगायत पॉच का आवेदन पत्र धारा 32 भू–राजस्व सहिता का दिनांक 11/07/2013 को स्वीकार हुआ । जिससे असंतुष्ट एंव दुखी होकर यह निगरानी आवेदन पत्र अंदर अवधी सादर प्रस्तुत है ।

!! आधार निगरानी !!

1. यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय कानून व प्रकरण पत्रिका के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 131 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत बने नियम के अंतर्गत कार्यवाही न कर एक पक्षिय आदेश पारित करने में गंभीर भुल की है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4211-दो/2013 जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 की ओर से श्री योगेश वर्मा, अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अध्यक्ष	